न्यायालय सहायक कलेक्टर, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सांवला पुत्र मनरूपाजी 2. माधा पुत्र सांवलाजी जातियान माली निवासीगण मेड़ा पुरोहितान तहसील बागोड़ा जिला–जालोर।		1. काला पुत्र नालाजी 2. जेरूपा पुत्र नालाजी 3. पूनमा पुत्र नालाजी जातियान रेबारी निवासीगण मेड़ा पुरोहितान तहसील बागोड़ा जिला–जालोर। 4. राजस्थान राज्य जरिए भूनिधारी तहसीलदार बागोड़ा जिला जालोर।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गोरधनराम विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
श्री छैलपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3

मुकदमा संख्या :– 68/2019 दिनांक : 13.01.2020

–: निर्णय :–

उक्त वाद का विवरण विश्लेषण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण पिता–पुत्र है, जो संयुक्त परिवार में निवास करते है एवं एक–दूसरे का किया–कराया मंजूर करते है। वादी संख्या 2 का हित वादी संख्या 1 के विपरीत नहीं है। वादी संख्या 2 व्यवसाय के सिलसिले में देशावर गया हुआ है। वाद पत्र पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया है। इसलिए यह वाद वादी संख्या 1 के हस्ताक्षर से पेश किया गया है, जो वादी संख्या 2 को मंजूर है। सरहद मौजा मेड़ा पुरोहितान तहसील बागोड़ा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता माला पुत्र पैराजा के नाम की खातेदारी आराजी गत खसरा नंबर 17 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय पुरानी जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 में अजा, माला पिसरान पैराजा कौम रेबारी साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर– बराबर दर्ज थी तथा नामांतरण संख्या 120 के जरिए अजा फौत होने पर मिठा, जानता, खेता पिसरान अजा, माला पुत्र पैराजा कौम रेबारी दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता माला पुत्र पैराजा ने आराजी गत खसरा नंबर 17 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्सा वादीगण को जरिए रजिस्ट्री बेचान कर दिया। उक्त बेचान होने पर नामांतरण संख्या 162 के जरिए माला पुत्र पैराजा के बजाय सांवला पुत्र मनरूपा, माधा पुत्र सांवला कौम माली साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया, जो उक्त वाद में वादीगण है। उसके बाद नामांतरण संख्या 178 के द्वारा आराजी गत खसरा नंबर 17 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी रणछोड़ा पुत्र देवा कौम पुरोहित 1/2 हिस्सा, सांवला पुत्र मनरूपा, माधा पुत्र सांवला 1/2 हिस्सा कौम माली साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया। पूर्व खातेदार माला पुत्र पैराजा द्वारा बेचान करने पर बेचान के रोज से आराजी गत खसरा नंबर 17 के 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का है। नकल पुरानी जमांबदी संवत 2034 से 2037, नामांतरण संख्या 120, 162, 178 मौजा मेड़ा पुरोहितान को प्रमाणित प्रति एवं वादीगण के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रमाणित संलग्न वाद पेश है। कालान्तर में इस क्षेत्र में रिसेटलमेंट हुआ। रिसेटलमेंट के दौरान रिसेटलमेंट कर्मचारियों ने आराजी गत खसरा नंबर 17 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

नवसृर्जित खसरा नंबर 24 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नंबर 27 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल खसरे तीन कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर मौजा मेड़ा पुरोहितान कायम कर नए खसरा नंबर 24 व 27 की खातेदारी द्वितीय खतौनी बन्दोबस्त में सांवलाराम पुत्र मनरूपा, माधा पुत्र सांवला कौम माली 1/2 हिस्सा, रणछोड़ा पुत्र देवा कौम पुरोहित 1/2 हिस्सा साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया, लेकिन नया खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के हक व हिस्से में दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता माला पुत्र पैराजा के नाम गलत व अवैध रूप से दर्ज कर दी। उक्त वाद में नए खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 का 1/2 हिस्से की भूमि को आगे वाद में विवादित आराजी से संबोधित किया जावेगा। नकल मिलान क्षेत्रफल एवं द्वितीय खतौनी बंदोबस्त नवीन नक्शा मौजा मेड़ा पुरोहितान की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पेश है। नए खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है, जो बेचान के रोज से आज दिन तक उक्त वादग्रस्त आराजी पर काश्त वादीगण करते आ रहे है। पुराने राजस्व रेकर्ड में नामांतरण संख्या 162 व 178 के जरिए उक्त गत खसरा नंबर 17 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुराने नामांतरण संख्या 162, 178 की पुरानी रजिस्ट्री एवं प्रिवियस रेकर्ड ऑफ राईट की प्रविष्टि के विपरीत जाकर बिना सक्षम न्यायिक आज्ञा नए खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के खाते में दर्ज नहीं कर द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रतिवादीगण के साथ अवैध व अनुचित रूप से मिलावट कर उक्त खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया। उक्त खातेदारी कतई गलत दर्ज की गई है। ऐसा करने का रिसेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को वादीगण की वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता का नाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। रिसेटलमेंट अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादीगण के हक व अधिकार की भूमि को वादीगण के खाते में दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम अवैध रूप से दर्ज कर दी गई, क्योंकि उक्त भूमि वादीगण के हक में बेचान होने से नामांतरण संख्या 162 के द्वारा वादीगण के नाम उक्त खातेदारी पुराने रेकर्ड में दर्ज हो चुकी थी। बेचान के रोज से आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है, जिससे उक्त भूमि वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार रखते है। वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा कराना चाहते है, जिससे वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश है। वादीगण की खातेदारी भूमि को रिसेटलमेंट कर्मचारियों ने अवैध व अनुचित प्रक्रिया द्वारा वादीगण का नाम हटाकर उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता का नाम दर्ज करने की जानकारी वादीगण को अनपढ़ होने से नहीं हो सकी। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.11.2019 को वादीगण को कहा कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा खाली कर दो अन्यथा हम आपको बलपूर्वक बेदखल कर देंगे तब वादीगण ने संबंधित रेकर्ड कार्यालय से नकले मांगी, जो दिनांक 13.11.2019 व 22.11.2019 को प्राप्त हुई तब पूर्ण रूप से जानकारी हुई कि वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में से रिसेटलमेंट कर्मचारियों ने वादीगण का नाम खातेदारी से हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व उसके बाद उनको पुत्रों के नाम दर्ज की गई है, जिससे वादीगण को वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश करना पड़ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता से जरिए रजिस्ट्री खरीद कर नामांतरण संख्या 162 के द्वारा वादीगण के नाम

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

खातेदारी दर्ज हुई थी, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट द्वारा अवैध व अनुचित रूप से उक्त खातेदारी में प्रतिवादी के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत प्रविष्टी की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी पर से बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि बिना वैध अधिकार से किसी अन्य अपरिचित अनजान शख्स को बेचान करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को रोकने हेतु यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त वादग्रस्त आराजी को अवैध प्रविष्टि दर्ज कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम गलत दर्ज की। उक्त अवैध व गलत दर्ज प्रविष्टि का आगे से आगे राजस्व रेकर्ड में नई जमाबंदी संवत 2048 से 2051 नामांतरण संख्या 35 दिनांक 17.05.1993 के अनुसार माला फौत के बजाय जेरूपा, पूनमा, काला पिसरान माला, मु. चमु बेवा माला का इन्द्राज किया गया तथा नामांतरण संख्या 427 दिनांक 25.03.2019 को हक त्याग द्वारा चमु बेवा माला को जगह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खसरा नंबर 28/673 में प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्से में दर्ज किया गया तथा शेष रणछोड़ा पुत्र देवा का 1/2 हिस्सा जाति पुरोहित दर्ज किया गया। रणछोड़ा का 1/2 हिस्सा की भूमि विवादित नहीं होने से इस वाद में चुनौती नहीं दी गई होने से उसको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वादीगण के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा एवं स्वीकृत नामांतरण संख्या 162 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा रिसेटलमेंट में उक्त वादग्रस्त भूमि को अवैध व गलत प्रविष्टी की आड में आगे से आगे समस्त इन्द्राज वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन है। अन्त में वादीगण ने सरहद मौजा मेड़ा पुरोहितान में स्थित आराजी नए खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम में से संयुक्त रूप से वादीगण के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नाम उक्त खातेदारी से हटाया जाने बाबत् घोषणा की डिक्री तथा वादीगण के खातेदारी घोषणानुसार आराजी में न तो प्रतिवादीगण स्वयं वादीगण के कब्जे, काश्त व उपयोग– उपभोग में कोई दखलंदाजी रोक–टोक व बाधा उत्पन्न करे एवं न अन्य किसी से करावे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की डिक्री का अनुतोष चाहा। साथ ही घोषणा की डिक्री अनुसार वादीगण का सुयंक्त 1/2 हिस्सा व पृथक प्रत्येक वादी का 1/4 हिस्सा की खातेदारी संबंधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बागोड़ा को तहरीर जारी करने का निवेदन किया।

उपरोक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इकबाली जवाबदावा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त जवाबदावा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण के वाद में अंकित सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए माफिक इस्तदुआ वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर सरहद मौजा मेड़ा पुरोहितान में स्थित आराजी नए खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम में से संयुक्त रूप से वादीगण के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नाम उक्त खातेदारी से हटाया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई उजर नहीं होने का कथन किया। साथ ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेशकर लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा होने से वाद डिक्री करने का निवेदन किया, जिस पर राजीनामा भी शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सूनी एवं हमने वाद के समर्थन में पेश राजस्व दस्तावेज एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया, जिससे यह साबित है कि वादीगण का उक्त वाद स्वीकार योग्य है,

Scanned by CamScanner

अतः वादी का वाद मुताबित राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद मुताबित राजीनामा के अंतिम डिक्री किया जाता है कि मौजा मेड़ा पुरोहितान में स्थित आराजी नए खसरा नंबर 28/673 रकबा 0.71 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम में से संयुक्त रूप से वादीगण के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नाम उक्त खातेदारी से हटाए जाने की घोषणात्मक डिक्री सादिर की जाती है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा उक्तानुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बागोडा को तहरीर जारी हीो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर,
बागोड़ा

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mridula Shekhawat
Date: 2020.03.06 12:09:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: